

प्रेषक,

अधिशायसी नलदेशक  
उत्तरखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण  
सचलवलड परलसर, देहरादून।

सेवा में,

सचलव  
मा. मुख्यमंत्री  
उत्तरखण्ड शासन।

यू.एस.डी.एम.ए.

देहरादून:दलनांक: 24 मार्च, 2020


वलषड- कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण से उत्पन्न स्थलतल में जनपदों को  
मा. मुख्यमंत्री वलवेकाधीन कोष से धनराशल आवंटलत कलये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोकत वलषडक उत्तरखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण  
(यू.एस.डी.एम.ए.) के पत्र संख्या-275/USDMA-792(2019) दलनांक 18 मार्च, 2020 का  
सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें ललसके माध्यम से कोरोना वायरस (COVID-19) से  
उत्पन्न संक्रमण की स्थलतल का सामना करने के ललये जनपदों को मा. मुख्यमंत्री जी के  
वलवेकाधीन कोष से धनराशल अवमुक्त कलये जाने का अनुरोध कलया गया था।

अवगत करवाना है उक्त पत्र में त्रुटलवश जनपद चमोली का उल्लेख नहीं हो  
पाया था। उक्त के दृष्टलगत जनपद चमोली के ललये भी मा. मुख्य मंत्री वलवेकाधीन कोष से  
रू. 1.0 करोड़ की धनराशल की वलवस्था कलये जाने का अनुरोध है।

भवदीय,



(पीयूष रौतेला)

अधिशायसी नलदेशक

संख्या एवं दलनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतलललपल सचलव (प्रभारी), आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास, उत्तरखण्ड शासन को सूचनार्थ  
प्रेषलत।



(पीयूष रौतेला)

अधिशायसी नलदेशक